स्वावलंबन

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य होटल निर्माण के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी पर ऋण दे रहा उद्योग विभाग

# सरकार की मदद से पर्यटन उद्योग को लगाएंगे पंख

संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। झांसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए होटल व्यवसाय वृद्धि पर है। इसी को देखते हुए अब सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। होटल निर्माण के लिए 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का न केवल ऋण दिया जा रहा है, बल्कि 25 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जा रही है।

पर्यटन नीति के तहत होटल निर्माण के लिए दी जा रही सरकारी मदद का जिले में भी लाभ लिया जा रहा है। अब तक कुल 69 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें 11 ने होटल निर्माण पूरा कर काम शुरू कर दिया है, जबकि 40 का निर्माण कार्य जारी है। शेष अन्य औपचारिकता में जुटे हुए हैं।

इसके पीछे सरकार की कोशिश है कि हर पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के रुकने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इससे पर्यटकों को आसान दर पर रुकने की व्यवस्था मिलेगी। इससे युवा उद्यमी भी होटल व्यवसाय में कदम रख सकेंगे। अतिरिक्त सब्सिडी की मदद से महिलाएं भी व्यापार को प्रेरित होंगी।

## योजना के तहत जिले में अब तक 11 होटल चालू 40 होटल निर्माणाधीन

यूपी पर्यटन नीति-2022 के तहत उद्योग विभाग द्वारा होटल निर्माण के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी, 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। जिले में अभी तक 69 लोगों ने आवेदन किए हैं, जिनमें 11 ने निर्माण पूर्ण कर कार्य भी शुरू कर दिया है।
**– दिनेश सिंह, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र, झांसी**

## महिला और दिव्यांग को 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

ऋण में सामान्य व्यक्ति को 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना में यदि महिला अथवा दिव्यांग कोई आवेदन करता है तो उसे 5 प्रतिशत अतिरिक्त यानी कि 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, होटल निर्माण में यदि किसी कारोबारी के पास ऋण का पैसा कम पड़ता है तो वह बैंक से लोन ले सकता है। उसमें भी सरकार ब्याज पर 5 प्रतिशत की छूट दे रही है। शर्त केवल यह होगी कि उसे लोन 5 साल में चुकता करना होगा।

## दिव्यांग कर्मियों को भी सहायता

होटल निर्माण के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी की भी छूट सरकार की ओर से दी जा रही है। कारोबारी को स्टांप शुल्क का पैसा बैंक में जमा करना होगा। निर्माण और होटल शुरू करने के बाद वापस मिलेगा। इसके अलावा, होटल कारोबारी यदि अपने यहां 20 कर्मचारियों में दिव्यांगकर्मी नियुक्त करते हैं तो तीन कर्मियों को 1500 रुपये हर माह सहायता के रूप में दिए जाएंगे।